

1. आवेदक का नाम:
2. आवेदक का पता:
3. भूमि का विवरण, जिसका भू-उपयोग परिवर्तन चाहा जा रहा है :
  - (i) कहां स्थित है  
(कृषि भूमि के मामले में मास्टर प्लान/जोलन डवलपमेंट प्लान/भू-उपयोग प्लान में तथा आबाधी भूमि में शहर का नक्शा/योजना के स्वीकृत ले-आउट प्लान में स्थिति अंकित कर प्रति संलग्न करें)
  - (ii) कृषि भूमि के मामलों में खसरा नम्बर आबादी भूमि में भूखण्ड संख्या अंकित करें  
(खसरा प्लान, साईट प्लान, गूगल प्लान आवेदित भूमि के 100 मीटर की दूरी में चारों ओर की विशिष्ट स्थितियां एवं भू-उपयोग टोटल स्टेशन सर्वे सहित संलग्न)
  - (iii) आबादी भूमि के मामलों में भूखण्ड का पट्टा, जिसके द्वारा जारी किया गया है, उस संस्था का विवरण
  - (iv) भूमि अवाप्ताधीन है अथवा नहीं:
  - (v) यदि अवाप्ताधीन है तो उसका विवरण:
  - (vi) भूमि के संबंध में कोई विवाद न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन हो तो उसका विवरण:
  - (v) भूमि के संबंध में यदि किसी न्यायालय या किसी प्राधिकारी द्वारा कोई स्थगन आदेश दिया हुआ है तो उसका विवरण:  
(आदेश की प्रति संलग्न करें)
  - (vi) भूमि का वर्तमान अनुमत भू-उपयोग:  
(कृषि भूमि के मामलों में मास्टर प्लान में आवेदित भूमि का भू-उपयोग व आबादी भूमि में पट्टे में अनुमत भू-उपयोग अंकित करें)
  - (vii) चाहा जा रहा भू-उपयोग परिवर्तन का विवरण:
  - (viii) भू-उपयोग परिवर्तन चाहे जाने का कारण:
4. यदि आवेदित भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में पूर्व में कोई आवेदन प्रस्तुत किया गया हो तो उसका विवरण मय पारित आदेश (आदेश की प्रति संलग्न करें)
5. आवेदित भूमि का स्वामित्व का विवरण:  
(कृषि भूमि के मामलों में जमाबन्दी, बेयनामा/रजिस्ट्री व आबादी भूमि में पट्टे, रजिस्ट्री नामान्तरण आदेश वसीयत आदि स्वामित्व के दस्तावेजों की सत्य प्रति संलग्न करें। जहाँ सम्भव हो प्रोपर्टी आई.डी. का विवरण दें)
6. संबंधित निकाय के पक्ष में अण्डरटेकिंग
7. आवेदन शुल्क जमा कराने का विवरण:  
(आवेदन-पत्र शुल्क जमा कराने की रसीद/चालान संलग्न करें)  
दिनांक

स्थान:

आवेदक के हस्ताक्षर  
(मय नाम व पता)''